ई-निविदा सूचना

कार्यालय पुलिस अधीक्षक चित्रकूट।

पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, जनपद चित्रकूट में तीन नये कानून के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत उपकरणों/संसाधनों में से शेष निम्न उपकरणों/संसाधनों को जैम पोर्टल पर सर्च किये जाने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्धारित मानक के अनुरूप (क्र0सं0 1 व 2) कन्ज्यूमेबिल किट एवं किट बैग फॉर कन्ज्यूमेबिल की कैटागिरी जैम पोर्टल पर उपलब्ध न होने तथा (क्र0सं0 3) पोर्टेबल हार्ड डिस्क (एसएसडी) पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर उपलब्ध न होने के फलस्वरूप ई-निविदा पुलिस अधीक्षक, कार्यालय चित्रकूट में दिनॉक ..8..|3|..25... को दोपहर 12.00 बजे तक निविदायें (टेण्डर) बन्दशील लिफाफे में आमांत्रित किये जाते हैं, जो क्षेत्राधिकारी नगर जनपद चित्रकूट द्वारा उपरोक्त तिथि को सायं 02.00 बजे खोली जायेगी, जिन्हें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक/अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	मात्रा	निर्धारित दर प्रति उपकरण
1	कन्ज्यूमेबिल किट	8 अदद	50000/-
2	किट बैग फॉर कन्ज्यूमेबिल	8 अदद	12000/-
3	पोर्टेबल हार्ड डिस्क (एसएसडी)	15 अदद	5000/-

उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया हेतु निम्न शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक हैः-

01. न्यूनतम बोली पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर नहीं होगी।
02. टेण्डर फार्म प्रधान लिपिक शाखा, पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर दिनॉक 05.03.2025 से उपरोक्त टेण्डर की नियत तिथि के एक दिवस पूर्व तक समय 10.00 बजे से 05.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
03. टेण्डर फार्म के साथ, चरित्र प्रमाण पत्र/आधार कार्ड व एक अन्य आईडी संलग्न होनी चाहिये।
04. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरी स्वतन्त्र है।
05. उपरोक्त उपकरण उसी फर्म से क्रय किये जायेंगे, जिस फर्म द्वारा प्रेषित न्यूनतम दर की निविदा स्वीकृत होगी।
06. क्रय किये गये उपकरणों का भुगतान तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
07. फर्म द्वारा प्रेषित निविदा मे अंकित उपरोक्त उपकरणों की दर न्यूनतम होनी चाहिये, विभागीय सम्प्रेक्षा में यदि फर्म द्वारा सम्पूर्ति की गयी सामग्री की धनराशि अधिक/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो फर्म को अधिक भुगतान की गयी धनराशि वापस करनी होगी।
08. फर्म द्वारा निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी (बयाने की धनराशि) रूपया 10000/-रूपये मात्र नकद धनराशि के रूप मे जमा करनी होगी।
09. विभाग द्वारा फर्म को दिये गये आदेश में नियत तिथि/समय पर माँगे गये उपकरणों को व्यय/निविदा मे अंकित दरों पर उपलब्ध कराने होंगे। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे रूपया-10000/- (दस हजार रूपये मात्र) सिक्योरिटी मनी के रूप मे ऑकिक शाखा मे जमा करनी होगी। यदि फर्म द्वारा सिक्योरिटी मनी समय से जमा नहीं की गयी तो निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
10. फर्म द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी पायी जाती है तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. सामग्री की सम्पूर्ति को स्वयं ही करनी होगी तथा इस सम्बन्ध मे होने वाला माल वाहक भाड़ा व्यय भी फर्म को ही वहन करना होगा जिसका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।
12. सामग्री के मूल्यों में जीएसटी का रेट अंकित किया जावे।

13. सभी फर्मों द्वारा निविदा फार्म में यह अंकित होना चाहिये कि उनकी फर्म को निविदा की सभी शर्तें स्वीकार है।

14. निर्गत निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्मों द्वारा प्रदत्त उपकरणों के तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी, कार्यालय/प्रधान लिपिक एंव कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी (डी0सी0) को अधिकृत किया जाता है, जो समय से तुलनात्मक चार्ट तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

15 उपरोक्त उपकरणो के निर्धारित मानक की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु किसी कार्य दिवस में पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, चित्रकूट में सम्पर्क किया जा सकता है।

पत्र संख्याः न-25 /2025

दिनॉकः मार्च 3 ,2025

पुलिस अधीक्षक,
चित्रकूट

संख्या व दिनॉक वही

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज।
02. पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बॉदा।
03. पुलिस आयुक्त प्रयागराज/कानपुर नगर/वाराणसी।
04 जिलाधिकारी चित्रकूट/बॉदा/कौशाम्बी/हमीरपुर/महोबा/जालौन फतेहपुर प्रतापगढ़/ललितपुर/कानपुर नगर/कानपुर देहात।
05. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक बॉदा/कौशाम्बी/हमीरपुर/महोबा/जालौन फतेहपुर प्रतापगढ़/ललितपुर/कानपुर नगर/कानपुर देहात।
06. राज्य सूचना अधिकारी उ0प्र0 सरकार लखनऊ को इस आशय से कि निविदा को समाचार पत्रो में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
07. अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट।
08. जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट को इस आशय से कि उपरोक्त निविदाये समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
09. क्षेत्राधिकारी नगर,राजापुर,लाइन्स, कार्यालय एवं मऊ जनपद चित्रकूट।
10. क्षेत्राधिकारी नगर को इस निर्देश के साथ कि वह नियत तिथि को पुलिस अधीक्षक, कार्यालय चित्रकूट में उपस्थित रहकर निविदा की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर अनुमोदन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।
11. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद चित्रकूट।
12. प्रभारी मीडिया सेल, पुलिस कार्यालय, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ई-निविदा को तत्काल उत्तर प्रदेश की पुलिस बेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3/3/25

पुलिस अधीक्षक,
चित्रकूट